

वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।


3. **अपूरणीय क्षति:-** प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष साबित हुए हैं। हस्तगत प्रकरण में सायलान व गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है। गैरसायलान सायलान की मौके व कब्जा काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते आ रहे हैं। यदि गैरसायलान अपने मंसूबो में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायलान को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।


--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 42/1 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 40 रकबा 53 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अब्बल कुल खसरा 3 कुल रकबा 100 बीघा 3 बिस्वा आई हुई है में रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।




सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)